नियम 140 : अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति

(1) अभिगृहीत माल को, **प्ररूप जीएसटी आईएनएस–04** में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए ''लागू कर'' के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा।